

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 490]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2020 — आश्विन 21, शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक 10481/वि. स./स्था./2020. — छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1990 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 के अंतर्गत निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. अर्थात् -

संशोधन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के सेवा अधिनियम, 1981 के अधीन निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम, 1990 में पदनाम वरिष्ठ सूचना अधिकारी की पदों की पूर्ति हेतु प्रणाली कंडिका 4 (16) पुनर्क्रमांकन 4 (6) के विद्यमान प्रावधानों में संशोधन तथा वित्तीय समिति अधिकारी की पदों की पूर्ति हेतु प्रणाली कंडिका 4 (24) के विद्यमान प्रावधानों में संशोधन कर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

कंडिका क्रमांक (1)	वर्तमान भर्ती का तरीका (2)	संशोधित भर्ती का तरीका (3)
पदों की पूर्ति प्रणाली 4 (16) वरिष्ठ सूचना अधिकारी पुनर्क्रमांकन पदों की पूर्ति प्रणाली 4 (6) वरिष्ठ सूचना अधिकारी	विधान सभा सचिवालय में द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद पर कार्यरत व्यक्ति में से किसी व्यक्ति का चयन द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा.	विधान सभा सचिवालय में जनसंपर्क शाखा में पदस्थ प्रथम श्रेणी अधिकारी के पद पर कार्यरत व्यक्ति की पदोन्नति द्वारा

(1)	(2)	(3)
पदों की पूर्ति प्रणाली 4 (24) वित्तीय समिति अधिकारी	पदोन्नति द्वारा या महालेखाकार कार्यालय/ राज्य लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा	सहायक ग्रेड-1/सहायक कार्यवाही संपादक/ लेखापाल की योग्यता प्रधान वरिष्ठता गौण के आधार पर पदोन्नति द्वारा.

वरिष्ठ सूचना अधिकारी का कंडिका क्रमांक 4 (6) पुनः क्रमांकित किया जाकर शेष कंडिकाएं 4 (7) से 4 (81) पुनः क्रमांकित किया जाता है.

आदेशानुसार,

हस्ता./-

(चन्द्र शेखर गंगराडे)

प्रमुख सचिव.